निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 548) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/आरोप– 01–22/2014 –8501–सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 जून 2015

श्री अनुराग कौशल सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1067/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौंदा, सिवान सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी (मानव संसाधन/प्रशासन), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विरूद्ध एक ही व्यक्ति को दो बार इंदिरा आवास का लाभ स्वीकृत करने, अस्तित्वहीन व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ देने, एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को इंदिरा आवास स्वीकृत करने, पहले से पक्के छतदारयुक्त मकान धारियों को इंदिरा आवास का लाभ देने एवं परिवार के विभिन्न सदस्यों को अलग–अलग इंदिरा आवास स्वीकृत करने आदि के प्रतिवेदित आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 179326 दिनांक 03.03.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7796 दिनांक 09.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 292 दिनांक 30.01.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या– 01 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या 02, 04, 05, 06 एवं 07 का अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 3246 दिनांक 27.02.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के संगत प्रावधानों के तहत् अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री अनुराग कौशल सिंह (बि0प्र0से0) ने अभ्यावेदन दिनांक 16.04.2015 समर्पित किया।

श्री सिंह ने प्रमाणित आरोपों के लिए अपने अभ्यावेदन में कहा है कि पर्यवेक्षकों द्वारा की गयी जाँच के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की गयी है। पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदनों में हुई त्रुटियों के उनके संज्ञान में आते ही उसके निराकरण के लिए उनके द्वारा यथोचित वैधानिक कार्रवाई की गयी है, जिसमें उनके स्तर से कोई लापरवाही अथवा शिथिलता नहीं बरती गयी है।

आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह के अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री सिंह के द्वारा समर्पित साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लाभुकों के द्वारा इंदिरा आवास योजना का दुबारा लाभ लिए जाने की जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा राशि

वसूली हेतु कार्रवाई की गयी है। उक्त के संदर्भ में इनके द्वारा स्वतः विधिसम्मत कार्रवाई किये जाने से यह परिलक्षित होता है कि प्रासंगिक लाभुकों को इंदिरा आवास योजना के तहत् दुबारा लाभ दिये जाने में इनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। किन्तु श्री सिंह के अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति के पूर्व उनके स्तर से कार्यालय के द्वारा सम्यक् जाँच नहीं करवाने के कारण उनके कार्यकाल में 10 लाभुकों को इंदिरा आवास योजना के तहत् दुबारा इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति हुई, जिससे उक्त योजना के कार्यान्वयन में इनके समुचित पर्यवेक्षण का अभाव प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी श्री सिंह के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति देने में इनके स्तर पर समुचित पर्यवेक्षण का अभाव रहने का निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनुराग कौशल सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1067/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौंदा, सिवान सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी (मानव संसाधन/प्रशासन), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विरूद्ध ''**असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक**'' का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनुराग कौशल सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1067/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौंदा, सिवान सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी (मानव संसाधन/प्रशासन), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विरूद्ध ''**असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक**'' का दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in